बैक पेपर परीक्षा (संस्थागत/व्यक्तिगत) 2016-17 के ऑन-लाइन आवेदन के नियम एवं शर्तें

1. स्नातक/स्नात्कोत्तर/विधि/बी.एड. के छात्र/छात्राओं हेतु केवल एक प्रश्नपत्र में ही बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति अनुमन्य हैं तथा बैक पेपर परीक्षा मे प्राप्त होने वाले अंक ही अनुमन्य होंगे । मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक मान्य नही होंगे ।
2. इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु बैक पेपर परीक्षा देने वाले छात्र/छात्राओं के वही अंक मान्य होंगे जो उसे श्रेणी सुधारने हेतु बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त होंगे । मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक मान्य नही होंगे ।
3. बैक पेपर परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र यदि बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नही हो पाते तो ऐसे परीक्षार्थियो के पूर्व प्राप्तॉक ही मान्य होंगे ।
4. **(क)** स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों के न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत, परास्नातक तथा बी.एड. में न्यूनतम 36 प्रतिशत तथा विधि में 48 प्रतिशत अंक होना चाहिये कुल प्राप्तॉक योग में प्रायोगित परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना नही होगी परन्तु परास्नातक एवं विधि तथा बी.एड. में निर्धारित प्रतिशत में 10 अंको की छूट केवल बैक पेपर परीक्षा के लिए होगी । परास्नातक एवं विधि के ऐसे छात्र अगली उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रवेश के लिए अर्ह नही होंगे ।

   (ख) स्नातक प्रथम वर्ष के वे छात्र जो नियमानुसार दो विषय में पास होंगे और एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे परन्तु लिखित योगांक प्रायोगिक अंक छोडकर 33 प्रतिशत होंगे तभी वे केवल एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर परीक्षा के लिए अर्ह होंगे ।

   (ग) स्नातक स्तर पर बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह छात्र/छात्रायें अगली उच्च कक्षा में स्थायी रूप से प्रवेश ले सकेंगे । उन्हें अस्थायी रूप से अगली उच्च कक्षा में प्रवेश इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त होगा कि यदि वे बैक पेपर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनका उच्च कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

   (घ) स्नातक तृतीय वर्ष में बैक पेपर के परीक्षार्थी अगली उच्च कक्षा परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश/परीक्षा के अधिकारी नही होंगे ।
5. मुख्य परीक्षा के उपरान्त बैक पेपर में सम्मिलित होने की सुविधा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमन्य होगा ।
6. उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह सुविधा केवल उन्ही केवल उन्ही परीक्षार्थियो को प्राप्त होगी जो मुख्य परीक्षा के सम्पूर्ण विषयो/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हुऐ है तथा अपना परीक्षाफल सुधारना चाहते हैं ।
7. उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत छात्र/छात्रा छूटी मौखिक परीक्षा देने के अधिकारी नही होंगे ।
8. किसी भी कक्षा के वे छात्र जो लिखित मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होंगे और उनकी परीक्षा का प्राप्तांक स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत परास्नातक एवं बी.एड. मे 36 प्रतिशत तथा विधि परीक्षा में 48 प्रतिशत है तो उन्हें भी एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी ।

9. परास्नातक उत्तरार्द्ध में लिखित परीक्षा के योगांक में 10 अंक की छूट बैक पेपर हेतु अनुमन्य होगी परन्तु जो छात्र एक प्रश्नपत्र में अनुपस्थित होने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नही होगी ।

10. उक्त प्रावधानो के अनुसार स्नातक स्तर पर जो परीक्षार्थी मात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण है । परन्तु उसका कुल प्राप्तांक 33 प्रतिशत है तो वह अनुत्तीर्ण विषय के एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर परीक्षा का अधिकारी है । इसी प्रकार परास्नातक एवं विधि परीक्षा में क्रमशः 36 तथा 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा 10 अंको के कम होने पर ही बैक पेपर की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु वे अगली कक्षा में प्रवेश/परीक्षा के अधिकारी नही होंगे ।